


संचालनालय कौशल विकास म.प्र.

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल

Provisional Allotment Letter Third Round for ITI Admission 2025-26

| Registration No. पंजीकरण नंबर | | 2500104352 | Candidate Name आवेदक का नाम | | AASTHA BAGHEL आस्था बघेल |   |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-----------|--|--|
| Father's Name पिता का नाम | | RANJEET SINGH BAGHEL | Mother's Name माता का नाम | | NEELU BAGHEL | |
| | | रंजीत सिंह बघेल | | | नीलू बघेल | |
| Category (त्रेणी) Gender (लिंग) | | UNRESERVED(UR) | Sub Category (उप त्रेणी) | | N/A | |
| | | FEMALE | | | कोई नहीं | |
| Date of Birth जन्म तिथि | | 25/08/2007 | Mobile No. मोबाइल नंबर | | 9244685044 | |
| Institution Code | Institution & Trade | | Seat Type | Priority | Allotted Category | |
| GR23000011 | (2) GR23000011-DIVISIONAL ITI JABALPUR-564-STENOGRAPHER & SECRETARIAL ASSISTANT (ENGLISH) (NSQF)-NCVT-GOVT. ITI UNRESERVED | | CTS | 1 | Category : UNRESERVED and SubCategory - UR_FEMALE_STATE and MetrixType : FEMALE ITI-GOVERMENT-NCVT | |
| Admission Fees | Training Fees | | Caution Money Fees | Exam Fees | Total Fees | |
| | Rs. 2500/- (First Installment) | | Rs. 250/- | Rs. 500/- | Rs. 3250/- | |

Important Instructions (महत्वपूर्ण निर्देश)

आपको सूचित किया जाता है कि आईटीआई में प्रवेश हेतु दिनांक 16.07.2025 से 19.07.2025 के बीच संबंधित आईटीआई में उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करें। प्रवेश की अंतिम तिथि 19.07.2025 है।

प्रवेश के समय आवेदक को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां (जो लागू हों) जांच के लिये लाना अनिवार्य होगा। साथ में स्वयं सत्यापित दो सेट फोटोकॉपी एवं 02 पासपोर्ट साईज फोटो साथ में लेकर आवें।

| स.क्र. | प्रमाण पत्रों का विवरण |
|--------|---|
| 1 | व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/अंकसूचियां (08th or 10th) |
| 2 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया डिजिटल प्रमाणपत्र। |
| 3 | फिजिकली हैण्डीकैप्ड (अपंग) आवेदकों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल अथवा अस्थि विशेषज्ञ द्वारा दिया हुआ। |
| 4 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके पुत्र/पुत्रियां, पौत्र/पौत्री, नाती/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र को जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया हुआ हो। |
| 5 | सैनिक/ भूतपूर्व सैनिक/अर्ध सैनिक बल अथवा उस पर आश्रित के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। कार्यरत सैनिक अपने यूनिट के आफीसर कमांडिंग का प्रमाण पत्र |
| 6 | संचालनालय कौशल विकास के अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी/अधिकारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो |
| 7 | Child Care Institutes अथवा Child Care Committee द्वारा विमुक्त अभ्यर्थियों (Orphan) के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर CTS के प्रवेश शुल्क को आदेश क्र. 855 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा defer किया |

| | |
|----|---|
| | गया है। |
| 8 | मूल निवासी का डिजिटल प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) |
| 9 | जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण पत्र |
| 10 | एनसीसी के 'ए' 'बी' तथा 'सी' श्रेणी का प्रमाण पत्र |
| 11 | गैस त्रासदी के पीड़ित एवं उनके पुत्र/पुत्री के लिए / दूब से प्रभावित परिवारों, विस्थापितों के बच्चों एवं पाल्यों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
| 12 | अंतिम शैक्षणिक संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) |
| 13 | लोकतंत्र सेनानी-मीसाबंदी अथवा उनके पुत्र/पुत्रियां, पौत्र/पौत्री, नाती/नातिन के लिये संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र |

जरूरी सूचना:-

आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उपरोक्तानुसार संस्था एवं व्यवसाय आवंटित किया जा रहा है। आवेदन सही पाये जाने पर तथा मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं फीस जमा होने के उपरांत ही प्रवेश माना जायेगा।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

आवेदकों को इस वर्ष आईटीआई की फीस ऑनलाइन भरनी अनिवार्य है। इसके लिए अलॉटमेंट पत्र के साथ संस्था में दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत प्रवेश फीस पोर्टल के केंडिडेट लॉगिन पर ऑनलाइन पेमेंट मोड के माध्यम से भरनी होगी। फीस की रसीद भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक तक फीस ऑनलाईन नहीं भरने की स्थिति में आपका प्रवेश मान्य नहीं होगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उनका प्रथम विकल्प आवंटित हुआ है यदि वह प्रवेश नहीं लेते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा उन्हें आगामी राउण्ड में सम्मिलित होने के लिये पुनः च्वाईस फिलिंग करना होगा।

जिन छात्रों को प्राइवेट आई टी आई में प्रवेश लेना है और उन्होंने प्राइवेट आई टी आई के लिए अलॉटमेंट लेटर लिया है ऐसे छात्र पहले प्राइवेट आई टी आई में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराये उसके उपरांत निकटतम शासकीय आई टी आई में जाकर अपने सारे दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कराएँगे।

म.प्र. राज्य कौशल विकास एवं
रोजगार निर्माण बोर्ड, भोपाल

Disclaimer

यह प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में निम्नानुसार हेल्पलाईन नंबरों पर संपर्क करें।

फोन नं.- +91 9220407724, 9220407725, 9220407726 (10:30 AM to 05:30 PM)
ई-मेल- mpiticounseling2025@gmail.com